

देश है।

Wp.

272/2 पञ्जावली आण पेश हुयी / ~~अधी~~  
 वादी वकील अनुपस्थित / ~~साथालय~~  
 सप्रभु में रोक रोक कर कारकार  
 आकारे लजावायी गयी। ता तो  
 वादी वकील और ना ही रत्नय  
 वादी उपस्थित हुये। अतः पञ्जावली  
 सिविल प्रक्रिया संहिता के अर्द्ध  
 9 नियम 3 (अदम्यै र्शनी अदम्य  
 एजरी) के अन्त रकारिण की  
 जानी है। पञ्जावली फैसल श्रावण  
 हो गकर से कम कीजाकर दारिद्र  
 दफनर हो।

Wp.  
 उप जिल्ह कलेक्टर  
 चीथ का दरगाड़ा

